न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 72/2020 (उदयपुर डिक्री)

1. भैरूलाल पिता हीराजी बालदिया (बंजारा), निवासी गिरधारीपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. रो ानलाल पिता हीराजी बालदिया (बंजारा), निवासी गिरधारीपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती भूरीबाई पत्नी हीराजी बालदिया (बंजारा), निवासी गिरधारीपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती लेहरीबाई उर्फ लच्छीबाई पत्नी जयराम बालदिया (बंजारा), निवासी गिरधारीपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती मुन्नीबाई पत्नी मोहनलाल बंजारा, निवासी गिरधारीपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. उदा पिता रामाजी बालदिया, निवासी गिरधारीपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. चन्दु पिता रामाजी बालदिया, निवासी गिरधारीपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती भोलीबाई पत्नी रामाजी बालदिया, निवासी गिरधारीपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती बसन्ती पुत्री रामाजी बालदिया, निवासी गिरधारीपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती कमला पुत्री रामाजी पत्नी भांकरजी बालदिया, निवासी गिरधारीपुरा हाल लाखों का खेड़ा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती रामी पत्नी हीराजी बालदिया (बंजारा), निवासी गिरधारीपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2022.01.03 12:08:38 IST
Reason: SelfAttested

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
का. अ. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली
दिनांक 30.01.2019 प्र.सं.336/2011

———/———

<u>उपस्थित (वक्त बहस)</u> 1– श्री मनीश भार्मा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री तुलसीराम डांगी अभिभाशक रे.सं. 1 से 5
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे.सं. 6

———::———

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 13–12–2021</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गिरधारीपुरा में आराजी नंबर 71, 338, 339 कुल किता 3 रकबा 9 बीघा भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम संयुक्त रूप से अंकित होकर, उसमें वादी संख्या 1 व 2 का 3/20 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1/20 हिस्सा, वादी संख्या 4 का 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 5 का 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 6 का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का 1/5 हिस्सा अंकित है। उक्त आराजी को हम वादी संख्या 4 से 6 ने प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व वादी संख्या 1 से 3 के पिता/पति से 1/5, 1/5 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय कर क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है एवं उक्त आराजियात का बंटवारा होकर हम पक्षकारान अपने–अपने हिस्सेनुसार काबिज हैं, किन्तु मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं होने से भूमि विकास व बैंक से ऋण आदि में कठिनाई आती है। अतः विवादित आराजियात में वादी संख्या 1 व 2 का 3/20 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1/20 हिस्सा, वादी संख्या 4 से 6 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा अनुसार भूमि का विभाजन कराया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30–01–2019 से वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 21–12–2020 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 की ओर से वकील श्री तुलसीराम डांगी

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:08:38 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जो भाामिल पत्रावली की गयी। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 04–12–2020 को हुई। जानबूझकर कोई चूक नहीं की गयी है। अतः मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाशक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपील 60 दिवस में प्रस्तुत की जानी थी, जबकि यह अपील करीब 1½ वर्श से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जिसके लिए जो कारण बताये हैं, वह न तो उचित हैं एवं न ही पर्याप्त। ऐसी स्थिति में अपील मात्र इसी स्तर पर खारिज योग्य है।

उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलान्ट द्वारा अपील करीब 1½ वर्श से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए जो कारण बताये हैं, वह न तो उचित प्रतीत होते हैं एवं न ही पर्याप्त कारण प्रतीत होते हैं। तद्नुसार अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। फिर भी प्रकरण के गुणावगुण को दृश्टिगत रखते हुए न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

वकील अपीलान्ट द्वारा आज दिनांक 13–12–2021 को आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसे साथ बिजली के बिल, फोटोग्राफ्स एवं सीडी प्रस्तुत की, जो इस स्तर पर सुसंगत नहीं होने से उक्त आवेदन खारिज किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्र न है, दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण लोक अदालत में रखकर बिना किसी आधार के आपसी राजीनामे के आधार पर अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में बिना कोई तनकियात कायम किये निर्णय पारित कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे। अतः अपील सा[illegible]न से खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:08:38 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया तो पाया कि स्वयं अपीलान्ट ने अपने वाद के अनुतोश में विवादित आराजियात में वादी संख्या 1 व 2 का 3/20 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1/20 हिस्सा, वादी संख्या 4 से 6 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा बताते हुए उक्तानुसार भूमि का विभाजन चाहा है एवं अधिनस्थ न्यायालय ने भी इसी अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी की है। ऐसी स्थिति में हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में प्रथम दृश्टया किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं एवं अपील को सारहीन पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–01–2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 13–12–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:08:38 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आई.ए.एस.** .....

भैरूलाल पिता हीराजी बालदिया (बंजारा) निवासी गिरधारीपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर व अन्य बनाम **उदा पिता रामाजी बालदिया, नि0 गिरधारीपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**72 / 2020**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**सहायक कलक्टर** ..... **(फास्ट ट्रेक) मावली** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**30**.....माह.....**01**.....**2019**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**13**....माह.....**12**.....सन् **2021** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री मनीश भार्मा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री तुलसीराम डांगी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–01–2019 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**13**....माह.....**12**.....**2021** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:08:38 IST
Reason: SelfAttested